

भारत के राजपत्र
असाधारण के
भाग-I - खंड-1
में प्रकाशनार्थ
विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2006.

संकल्प

सं0 44/26/05-आरई(खंड-II)

ग्रामीण विद्युतीकरण नीति

केंद्रीय सरकार विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 4 और 5 के अनुसरण में ग्रामीण विद्युतीकरण नीति को एतद्द्वारा अधिसूचित करती है ।

1. प्रस्तावना

1.1 हमारे जीवन के सभी पहलुओं के लिए बिजली एक अनिवार्य आवश्यकता है तथा इसे मूल मानव आवश्यकता के रूप में मान्यता दी गई है । यह विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में त्वरित आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन तथा मानवीय विकास के लिए मुख्य जरूरत है ।

1.2 राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अधीन 5 वर्षों के अन्दर सभी आवासों को बिजली पहुंचाने के प्रावधान की परिकल्पना की गई है तथा इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना शुरू की गई ।

1.3 भारत अधिक प्राकृतिक संसाधनों एवं ऊर्जा के स्रोतों की प्रचुर संपत्ति के साथ सम्पन्न है । भारत के ऊर्जा स्रोत जीवाश्म ईंधन हैं जैसे गैस, कोयला तेल आदि न्यूक्लीयर, जल विद्युत एवं अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत जैसे-सौर, पवन बायोमास, लघु जल विद्युत, जियो-थर्मल, ज्वार आदि हैं । इन स्रोतों का उचित एवं इष्टतम उपयोग प्रत्येक आवास को विद्युत की विश्वसनीय आपूर्ति के लिए किया जा सकता है । सार्वभौम प्रतियोगी दरों पर विद्युत आपूर्ति देश में आर्थिक गतिविधि एवं सार्वभौम पर्यावरण में प्रतियोगी होगी । उपभोक्ता, विशेषकर वे जो ऐसा शुल्क देने के इच्छुक हों जिससे दक्षता लागत प्रतिबिम्बित होती है, को गुणवत्ता युक्त विद्युत की 24 घंटे निरंतर आपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है ।

1.4 त्वरित ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण(आरई) को मुख्य जरूरत समझा गया है। लघु एवं मध्यम उद्योगों, खादी एवं ग्राम उद्योगों, कोल्ड चेन, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा एवं सूचना प्रौद्योगिकी सहित कृषि एवं अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बिजली का प्रावधान आवश्यक है।

1.5 राष्ट्रीय विद्युत नीति में बताया गया है कि विद्युत क्षेत्र विकास का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों को विद्युत की आपूर्ति करना है जैसा कि विद्युत अधिनियम की धारा 6 में आदेश दिया गया है। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें दोनों इस उद्देश्य को यथाशीघ्र प्राप्त करने के लिए संयुक्त रूप से प्रयास करेंगी। तदनुसार, केंद्र सरकार ने अप्रैल, 2005 में एक महत्वाकांक्षी योजना राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) शुरू की। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम को पूरा करने के लिए अगले 5 वर्षों में अविद्युतीकृत गांवों/अविद्युतीकृत पुरवों का विद्युतीकरण एवं सभी आवासों के लिए बिजली उपलब्ध कराना है।

1.6(क) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई व्यापक परामर्श प्रक्रिया के जरिए एकल आधार प्रणाली (स्टैंड अलोन प्रणाली) की अनुमति एवं(ख) ग्रामीण विद्युतीकरण एवं ग्रामीण क्षेत्रों में थोक विद्युत खरीद एवं स्थानीय वितरण प्रबंध के लिए राष्ट्रीय नीतियां तैयार की गई है। तथा खाका तैयार किया जा चुका है। इस परामर्श प्रक्रिया में न केवल राज्य सरकारें एवं राज्य विद्युत विनियामक आयोग शामिल हैं बल्कि अन्य पणधारी जैसे गैर-सरकारी संगठन, प्रौद्योगिकी प्रदाता, वर्तमान यूटिलिटीज आदि भी शामिल हैं। अधिनियम के संगत प्रावधान अनुबंध में दिए गए हैं।

2. उद्देश्य

2.1 नीति का उद्देश्य निम्नवत है:-

- वर्ष 2009 तक सभी आवासों को विद्युत पहुंचाने का प्रावधान।
- यथोचित दरों पर गुणवत्तायुक्त एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति।
- वर्ष 2012 तक मेरिट गुड (Merit good) आधार पर प्रतिदिन 1 यूनिट प्रति घर का न्यूनतम जीवन रेखा खपत

2.2 उपलब्धियों के साथ-साथ उपर्युक्त लक्ष्यों के संबंध में ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

3. ग्राम विद्युतीकरण तक पहुंच

3.1 गांवों के विद्युतीकरण का सामान्य साधन ग्रिड कनेक्टिविटी है। जबकि इस नीति में 33/11 या 66/11 के. वी. स्तर तक वितरण नेटवर्क शामिल है, उच्च वोल्टेज स्तरों पर उपपारेषण तथा पारेषण प्रणाली का समुचित विकास तथा संवर्धन भी आवश्यक होगा।

3.2 गांवों/बस्तियों के लिए, जहाँ ग्रिड कनेक्टिविटी व्यवहार्य या लागत प्रभावी नहीं है, स्टैंड अलोन प्रणालियों पर आधारित ऑफ ग्रिड समाधान विद्युत आपूर्ति के लिए शुरू किया जाए, ताकि प्रत्येक आवास में विद्युत पहुंच सके। जहां न तो स्टैंड अलोन प्रणाली और न ही ग्रिड कनेक्टिविटी व्यवहार्य हो तथा केवल पृथक् लाइटिंग प्रौद्योगिकी, जैसे सौर फोटो वोल्टाइक वैकल्पिक रूप में प्रयोग किया जाना हो, उनका इस्तेमाल किया जाए। तथापि, ऐसे दूरस्थ गांवों को उस समय तक विद्युतीकृत नामजद न किया जाए जब तक ग्राम विद्युतीकरण की परिभाषा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन गांवों को विद्युत प्रदान करने हेतु उचित समाधान न निकल जाए।

3.3 स्थानीय वितरण नेटवर्क के साथ विकेंद्रित वितरित उत्पादन सुविधाएं विद्युत उत्पादन की या तो परंपरागत या गैर-परंपरागत पद्धति पर आधारित होनी चाहिए, जो अधिक उपयुक्त एवं किफायती हैं। ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोतों को वहाँ भी उपयोग किया जा सकता है, जहाँ ग्रिड कनेक्टिविटी विद्यमान है, बशर्ते यह लागत प्रभावी पाई जाए।

3.4 राज्य सरकारों को ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 6 महीने के अंदर तैयार कर अधिसूचित करना चाहिए, ताकि सभी आवासों को बिजली पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में विद्युतीकरण सुपुर्दगी तंत्र (ग्रिड या स्टैंड अलोन) की योजना बनाना एवं विवरण होना चाहिए। इसके साथ-साथ इसमें उपलब्ध प्रौद्योगिकी, पर्यावरण मानक, ईंधन की उपलब्धता, अविद्युतीकृत आवासों की संख्या, विद्यमान ग्रिड आदि से दूरी पर विचार किया जाए। जब कभी ऐसी योजना उपलब्ध हो, तो योजना को जिला विकास की योजना के साथ संबद्ध किया जाए। योजना के बारे में समुचित आयोग को भी सूचित किया जाए।

विद्युत अधिनियम 2003 (इसके बाद इसे अधिनियम कहा जाए) की धारा 43 के प्रावधानों के अनुसार, समुचित आयोग, सार्वभौम सेवा प्रतिबद्धताओं के निभाने के लिए अतिरिक्त समय देते समय, यदि कोई हो, सुनिश्चित करेगा कि वर्ष 2009 तक सभी आवासों को बिजली पहुंचाने के राष्ट्रीय लक्ष्य का भी पालन हो।

3.5 ग्रामीण विद्युतीकरण के प्रयोजन के लिए एक गांव का तात्पर्य जनगणना गांव से है।

4. ग्रामीण विद्युत बुनियादी सुविधाएं एवं आवासों के विद्युतीकरण की स्कीम-आरजीजीवीवाई ।

4.1 केंद्र सरकार ने हाल ही में ग्रामीण विद्युतीकरण की वर्तमान स्कीमों की समीक्षा की तथा एक आरजीजीवीवाई वृहत कार्यक्रम शुरू किया है । इस योजना के अधीन परियोजनाएं निम्नलिखित प्रावधान के लिए 90 पूंजी सब्सिडी के साथ वित्त पोषित की जा सकती हैं-

- **ग्रामीण विद्युत वितरण बैकबोन (आरईडीबी)**

- प्रत्येक ब्लॉक में समुचित क्षमता और लाइनों के एक 33/11 केवी(या 66/11 केवी) सब-स्टेशन का प्रावधान, जहां यह न हो ।

- **ग्राम विद्युतीकरण अवसंरचना का सृजन (वीईआई)**

- अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण ।

- अविद्युतीकृत बस्तियों का विद्युतीकरण ।

- विद्युतीकृत गांवों/बस्तियों में उपयुक्त क्षमता के वितरण ट्रांसफार्मरों का प्रावधान।

- **विकेंद्रित वितरित उत्पादन (डीडीजी) एवं आपूर्ति**

- उन गांवों/वास स्थानों के लिए परंपरागत स्रोतों से विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन(डीडीजी) एवं आपूर्ति जहां ग्रिड आपूर्ति व्यवहार्य नहीं है या लागत प्रभावी नहीं है और जहां अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय अपने दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रमों के माध्यम अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से से विद्युत उपलब्ध नहीं कराएगा ।

आरईडीबी, वीईआई एवं डीडीजी कृषि और निम्न समेत अन्य क्रियाकलापों की आवश्यकताओं को भी पूरी करेगा-

- सिंचाई पम्पसेट

- लघु व मझौले उद्योग

- खादी और ग्राम उद्योग

- कोल्ड चेन

- स्वास्थ्य रक्षा

➤ शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)

इससे समग्र ग्रामीण विकास करने में, रोजगार सृजन में और गरीबी उन्मूलन में सुविधा प्राप्त होगी ।

● गरीबी रेखा से नीचे के आवासों का ग्रामीण आवास विद्युतीकरण

सभी ग्रामीण बस्तियों में कुटीर ज्योति कार्यक्रम के मानकों के अनुसार 100% पूंजी सब्सिडी के साथ गरीबी रेखा से नीचे(बीपीएल) के अविद्युतीकृत आवासों का विद्युतीकरण किया जाएगा । गरीबी रेखा से ऊपर के आवासों को उनके कनेक्शनों के लिए निर्धारित कनेक्शन प्रभार का भुगतान करना होगा एवं तथा इस प्रयोजन के लिए कोई सब्सिडी उपलब्ध नहीं होगी

दूरस्थ गांवों के विद्युतीकरण के लिए अपारंपरिक ऊर्जा संसाधन मंत्रालय(एमएनईएस) द्वारा एक अलग कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है ।

4.2 रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड(आरईसी), विद्युत मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का उद्यम, ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए केंद्र सरकार के स्तर पर नोडल एजेंसी है । आर ई सी ग्रामीण विद्युतीकरण की परियोजनाओं को ऋण सहायता भी प्रदान

करता है । आरईसी की अपनी वित्तीय संस्था की भूमिका के अतिरिक्त, स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों, राज्य यूटिलिटीज एवं अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के समन्वय करने की मुख्य जिम्मेदारी है ।

4.3 विद्युत मंत्रालय ताकि विभिन्न स्कीमों को कार्यान्वित करने वाली एजेंसियों/मंत्रालयों के बीच समन्वय तंत्र शुरू करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभिन्न स्कीमों में शामिल करने के लिए गांवों का चयन इस तरीके से किया जाए ताकि इस नीति के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके । पंचायती राज मंत्रालय को भी इस समन्वय तंत्र से संबद्ध किया जाएगा ।

5. विद्युतीकृत गांव की परिभाषा

5.1 विद्युत मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. 42/1/2001-डी(आरई), दिनांक 5 फरवरी, 2004 के अधीन विद्युतीकृत गांव की परिभाषा का उल्लेख किया गया है, जो निम्नवत है-

ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर एक गांव को विद्युतीकृत वर्गीकृत किया जाएगा, जिसमें यह प्रमाणित किया जाए कि-

(क) दलित बस्तियों/पुरवों, जहां ये स्थित हैं, के साथ-साथ आबादी वाले इलाके में वितरण ट्रांसफार्मर और वितरण लाइनों जैसी मूल सुविधाएं दी जा चुकी हों। (गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत के जरिए विद्युतीकरण हेतु वितरण ट्रांसफार्मर आवश्यक नहीं है)

(ख) स्कूलों, पंचायत कार्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों, डिस्पेंसरियों, सामुदायिक केंद्रों इत्यादि जैसे सार्वजनिक स्थानों में बिजली पहुंचा दी गई हो।

(ग) गांव में कुल आवासों के कम से कम 10% आवास विद्युतीकृत हों।

5.2 ग्राम पंचायत/गांव परिषद या समकक्ष, विद्युतीकृत के रूप में घोषित करने के लिए गांव के पात्र हो जाने के समय पहला प्रमाण पत्र जारी करेगा। गांव के "विद्युतीकृत" घोषित किए जाने के बाद, ग्राम पंचायत प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को गांव के विद्युतीकृत स्थिति को प्रमाणित एवं पुष्टि करेगा। यदि ग्राम पंचायत प्रमाणीकरण में अत्यधिक देरी करती है, तो राज्य सरकार अन्य किसी उचित स्वतंत्र एजेंसी के जरिए विद्युतीकरण की स्थिति सत्यापित करा सकती है।

5.3 यद्यपि विद्युतीकृत के रूप में एक गांव को वर्गीकृत करने के लिए कम से कम 10% आवासों का विद्युतीकरण आवश्यक है, किन्तु इस नीति का उद्देश्य सभी आवासों को बिजली मुहैया कराना है।

6. ग्रामीण विद्युतीकरण में स्थानीय समुदायों को शामिल करना

6.1 राज्य सरकार को अधिनियम की धारा 166(5) के अनुसरण में, तीन महीने के भीतर जिला स्तर पर एक समिति गठित करनी चाहिए।

6.2 जिला समिति का गठन जिला पंचायत के अध्यक्ष / जिले की जिला योजना समिति/ कलेक्टर की अध्यक्षता में किया जाए तथा साथ-साथ इसमें विभिन्न संबंधित जिला स्तर की एजेंसियों, उपभोक्ता संघों एवं अन्य महत्वपूर्ण पणधारियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

आवासों की वैद्युत ऊर्जा सहित वाणिज्यिक ऊर्जा की आपूर्ति की कमी का अधिकतम भार महिलाओं पर पड़ता है। अतः ग्रामीण ऊर्जा आवश्यकताओं, विशेषकर विद्युत को पूरा

करने में महिलाओं की भागीदारी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों के प्रभावी, दक्ष एवं सतत कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है। तदनुसार, जिला समिति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए।

6.3 अधिनियम में प्रावधान है कि जिला समितियाँ जिले में विद्युतीकरण के विस्तार का समन्वय कार्य तथा समीक्षा करेंगी, विद्युत आपूर्ति एवं उपभोक्ता संतुष्टि की गुणवत्ता की समीक्षा करेंगी तथा ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण को प्रोत्साहित करेंगी।

पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विद्युतीकरण और विद्युत आपूर्ति में पर्यवेक्षक/सलाहकार की भूमिका होगी। राज्य सरकारें पंचायती राज संस्थानों को व्यापक भूमिका और उत्तरदायित्व सौंप सकती हैं, बशर्ते ग्रामीण विद्युत आपूर्ति व्यवसाय की वाणिज्यिक व्यवहार्यता और राजस्व स्थिरता प्रभावित न हो।

6.4 जिला समिति को स्टैंड-एलोन प्रणालियाँ एवं ग्रिड विस्तार दोनों और स्थानीय प्रबंध वाली परियोजनाओं, जैसा भी अपेक्षित हो, के माध्यम से ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं को सुगम बनाना चाहिए।

6.5 राज्य सरकारों को चयनित पंचायती प्रतिनिधियों के बीच विद्युत उत्पादन, वितरण, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा कार्य कुशलता और ऊर्जा और जल संबंध समेत बिजली संबंधी मुद्दों पर जागरूकता लाने के लिए कदम उठाने चाहिए।

7.0 ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता

7.1 वर्ष 2009 तक सभी परिवारों को विद्युत पहुँचाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न सुपुर्दगी विकल्पों और तंत्रों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सब्सिडियों और पूर्ण जीवन-चक्र लागतों को ध्यान में रखते हुए कम लागत वाले विकल्पों की तलाश करें।

7.2 ग्राम विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक निधियों से सहायता की व्यवस्था एक बार ही होगी। उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी के साथ आर्थिक कार्यों को प्रोत्साहित करके लोड बढ़ाने के विशेष प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि न केवल विद्युत आपूर्ति की लागत, ओ एंड एम व्यय और ऋण व्यवस्था के खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व सृजित हो सके बल्कि यह भी सुनिश्चित हो सके कि बिना किसी पूंजीगत सब्सिडी की आवश्यकता के संपत्तियों को भविष्य में बदला जा सके। राज्य सरकारों को इस प्रकार के भार वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए विद्युत आपूर्ति वाले संस्थानों और अन्य क्षेत्र जैसे

ग्रामीण उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड चेन, विभिन्न आर्थिक सेवाओं के मध्य नीति एवं आयोजना में समन्वय कार्य को सुगम बनाना चाहिए । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सायंकालीन व्यस्ततम घंटों में भी विशेष वोल्टता पर विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता है ।

7.3 ग्रामीण विद्युत आपूर्ति की राजस्व संवहनीयता सुनिश्चित करने के लिए आरजीजीवीवाइ के अंतर्गत स्कीम के अधीन वित्तपोषित परियोजनाओं में ग्रामीण वितरण के प्रबंधन के लिए इस शर्त के साथ फ्रैंचाइजियों की नियुक्ति आवश्यक है कि यदि स्कीम की शर्तों को संतोषजनक तरीके से नहीं पूरा किया जाता है, तो पूंजीगत सब्सिडी को ब्याज वाले ऋण में परिवर्तित किया जा सकता है । यह आवश्यक है कि अन्य क्षेत्रों में भी राज्य सरकारों द्वारा चरणबद्ध रूप से फ्रेचाइजी प्रणाली क्रियान्वित की जाए ताकि वाणिज्यिक हानियों में कमी हो सके, संग्रहण क्षमता में सुधार हो तथा उपभोक्ताओं को घर तक की सेवा मुहैया करायी जा सके ।

7.4 वित्तीय सहायता के इच्छुक ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं को नियमित अनुसरण तथा उन्नयन सहायता के लिए प्रस्तावित प्रबंध समेत कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में कमी के लिए उपाय इंगित करने चाहिए ।

7.5 पुराने अनुभव से यह मानते हुए कि उच्चतर पूंजीगत सब्सिडी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है, आरजीजीवीवाय मूलभूत ग्रामीण विद्युतीकरण बैकबोन तैयार करने/संवर्धित करने तथा ग्राम विद्युतीकरण अवसंरचना के लिए 90% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करता है । इसी प्रकार की पूंजीगत सब्सिडी स्टैन्ड-एलोन प्रणाली द्वारा शामिल किए जाने वाले गैर-विद्युतीकृत गांवों में वितरण प्रणाली के लिए आवश्यक है । यदि राज्य सरकार/एसईआरसी सब्सिडी से सृजित परिसंपत्तियों के उपयोग के लिए लाइसेंस को अनुमति देती है, तो यह सुनिश्चित किया जाए कि पूंजीगत सब्सिडी का लाभ उपभोक्ताओं को मिले ।

7.6 निष्पादन गारंटी लागू करने, कुशल प्रचालन तथा अनुरक्षण समेत विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विकेंद्रित विद्युत उत्पादन प्रणाली हेतु पूंजीगत सब्सिडी के प्रावधान के लिए वार्षिकी आधारित पहल आवश्यक है । इसे प्रणालियों के लिए पूंजीगत सब्सिडी की मात्रा का निर्धारण विद्युतीकृत किए जाने वाले सुदूर गांवों तथा ग्रिड के समीपवर्ती गांवों के बीच उपभोक्ता टैरिफ में यथासंभव समानता लाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए ।

7.7 भारत सरकार, नाबार्ड और भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से ऋणदाताओं द्वारा ग्रामीण विद्युत आपूर्ति कार्य में व्यापक प्रतिभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए सुपात्र

पूँजीगत लागत हेतु प्रारूप स्कीम तथा संबंधित सुगमकारी मानदंड एवं दिशानिर्देश तैयार करेगी ।

7.8 सीमित स्रोतों से अधिकतम लाभों के लिए, यह अनिवार्य है कि ऊर्जा दक्षता ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े अभियान के रूप में प्रवर्तित की जाए ।

7.9 कृषि क्षेत्र द्वारा अदक्ष तथा ऊर्जा गहन उपकरण का प्रयोग खपत पैटर्न को बिगाड़ सकता है तथा इसके परिणामस्वरूप टैरिफ सब्सिडी का इष्टतम उपयोग नहीं हो पाएगा । भारत सरकार आर्थिक तौर पर व्यवहार्य ऊर्जा दक्ष खेत उपकरण, विशेषतः पंप सेटों के प्रयोग बढ़ाने के लिए कार्यक्रम तैयार करेगी । ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001में इसके लिए आवश्यक कानूनी ढांचे का प्रावधान किया गया है ।

7.10 ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रिड तथा ऑफ-ग्रिड उपायों के मार्फत विद्युत आपूर्ति के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से दक्षता बढ़ेगी तथा लागतों में कमी आएगी । सूचना-प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रयोग के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे ।

7.11 उचित जन संचार माध्यम प्रेषण कार्यक्रम का यथाशीघ्र विकास स्थानीय विद्युत वितरण के प्रबंधन को समुदायों द्वारा अपने हाथों में लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया जाना चाहिए ।

8. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एकल आधार प्रणाली की अनुमति के लिए नीति प्रावधान

8.1 अधिनियम की धारा 14 के 8वें परंतुक के प्रयोजनार्थ, ग्रामीण क्षेत्रों का तात्प भारत के संविधान के तिहत्तरवें संशोधन (भारत सरकार के संविधान का अनुच्छेद 243) के अनुसार यथा परिभाषित/विनिर्दिष्ट सभी ग्रामीण क्षेत्रों से है ।

8.2 अधिनियम की धारा 14 के संबंध में, राज्य सरकारें, भारत सरकार के संविधान के तिहत्तरवें संशोधन के अनुसार अधिमानतः इस नीति की अधिसूचना तिथि के 2 महीनों के भीतर ग्रामीण क्षेत्रों को अधिसूचित करेंगी ।

8.3 अधिनियम की धारा 14 के प्रयोजनार्थ ग्रामीण क्षेत्रों की अधिसूचना के होते हुए भी अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत गांवों तथा पुरवों सहित सभी क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति करने के प्रयासों की प्रतिबद्धताएं तथा धारा 43 के अंतर्गत अपने लाइसेंस क्षेत्र में वितरण लाइसेंसधारियों की व्यापक सेवा प्रतिबद्धता बनी रहेंगी ।

8.4 अधिनियम की धारा 14 के 8वें परन्तुक के तहत छूट प्राप्त व्यक्ति को उत्पादन उत्तरदायित्वों के साथ, विद्युत वितरण हेतु आउटसोर्सिंग व्यवस्था करने का विकल्प रहेगा तथा ऐसे व्यक्ति के पास विद्युत वितरण भी बना रहेगा ।

8.5 धारा 14 के 8वें परन्तुक के तहत लाइसेंसिंग से छूट प्राप्त व्यक्ति लाइसेंसिंग प्रतिबद्धताओं एवं टैरिफ निर्धारण से संबंधित मामलों में समुचित आयोगों की सीमा तथा लाइसेंसधारियों के लिए लागू व्यापक आपूर्ति प्रतिबद्धताओं से मुक्त रहेगा । हालांकि अधिनियम के प्रावधानों में अभी तक शामिल तकनीकी मानकों, सुरक्षा उपायों आदि से संबंधित प्रावधान (अर्थात् धाराएं 10,53 आदि) लागू रहेंगे ।

8.6 धारा 14 के 8वें परन्तुक के तहत लाइसेंसिंग से छूट प्राप्त व्यक्ति द्वारा विद्युत आपूर्ति हेतु खुदरा टैरिफ उस व्यक्ति तथा उपभोक्ताओं के बीच हुए परस्पर करार के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे । चूंकि ये छोटे उद्यम होंगे, जिनमें कम पूंजीगत व्यय अल्प निर्माणावधियां तथा प्रवेश निषिद्ध बाधाएं शामिल हैं, प्रतिस्पर्धात्मक बाजार दबाव वास्तविक लागत परिलक्षित करने वाले उचित दरें सुनिश्चित करेंगे ।

किंतु सरकार (केन्द्र या राज्य) या अन्य एजेंसियों द्वारा वित्तीय सहायता/सब्सिडी के पूरे लाभ यदि कोई हों, उपभोक्ताओं को देने चाहिए । समुचित आयोग विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं, जो मामला दर मामला आधार पर टैरिफ निर्धारण के लिए यथा प्रस्तावित सब्सिडी विभिन्न ईंधनों, तकनीक तथा आधार के लिए प्राप्त करती हैं, के लिए इस प्रयोजनार्थ दिशा-निर्देश निर्धारित करेंगे । समुचित आयोग को अधिकार है कि यदि इन दिशा-निर्देशों का किसी विशेष मामले में कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है तो वह टैरिफ की संवीक्षा करने में हस्तक्षेप करें ।

8.7 स्थानीय संसाधन आधारित विकेंद्रीकृत उत्पादन की संभाव्यता ग्रामीण भारत के अधिकांश हिस्से में मौजूद है । उदाहरणार्थ, ग्रामीण क्षेत्रों में बायोमास आधारित ईंधन 81% घरेलू ऊर्जा को पूरा करता है । किन्तु इसे आधुनिक वाणिज्यिक ऊर्जा के रूप में प्रयोग करने के लिए, दक्षता में सुधार लाना तथा इसे प्रयोग करने की सुविधा बढ़ाना अनिवार्य है, उदाहरणार्थ गैसीकरण के माध्यम से ।

कई राज्य सरकारों ने मध्यम एवं लघु उद्योगों के विकास को आसान बनाने के लिए समयबद्ध ढंग से आवश्यक अनुमोदन एवं क्लियरेंस देने के लिए आसान पहुंच के भीतर एकल खिड़की क्लियरेंस जैसे प्रशासनिक तंत्र को पहले ही शुरू कर दिया गया है । ऐसी प्रबंधन आवश्यकता एकल आधार प्रणालियों/विकेंद्रीकृत उत्पादन परियोजनाओं के साथ हमारे स्थानीय संसाधनों की संभाव्यता का दोहन करने के लिए लागू की जानी चाहिए ।

8.8 विशेष सामर्थ्य प्रबंध 1 मे.वा. तक की एकल आधार प्रणालियों, जो लागत प्रभावी प्रमाणित तकनीक पर आधारित हैं तथा स्थानीय तौर पर उपलब्ध संसाधन जैसे बायोमॉस का प्रयोग करती हैं, के लिए लागू किया जाएगा। इन परियोजनाओं के लिए निम्न का स्वयंमेव अनुमोदन है:-

- मानदंडों के अनुसार क्षेत्र के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन
- प्रदूषण स्वीकृति, यदि तकनीक निर्धारित मानदंडों के भीतर प्रमाणित है।
- संबंधित प्राधिकारियों को प्रेषित स्व-प्रमाणीकरण के आधार पर सुरक्षा क्लियरेंस(इस प्रकार के प्रमाणीकरण देने से विकासकर्ता किन्हीं सुरक्षा विनियमों के भंग होने के लिए पूर्णतः जिम्मेवार होगा।)

आवश्यक आदेश सुसंगत कानूनों/नियमों के बारे में जारी किए जाएंगे।

8.9 बैंक अप सेवाओं तथा ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोतों पर आधारित प्रणालियों के लिए तकनीकी सहायता की संस्थागत व्यवस्थाएं राज्य सरकार द्वारा बनाई जानी होंगी। ऐसी सेवाएं लागत आधार पर दी जाएंगी ताकि व्यवस्थाएं बरकरार रखी जा सकें।

9.0 थोक विद्युत क्रय के लिए नीति प्रावधान तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय वितरण का प्रबंधन

9.1 अधिनियम की धारा 5 का प्राथमिक उद्देश्य स्थानीय स्तर प्रतिभागिता को सूचीबद्ध कर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रिड-संबद्ध (ऑन-ग्रिड) विद्युत का दायरा तथा विद्युत वितरण में प्रबंधन बढ़ाना है। धारा 5 के प्रावधान में भारत के संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची (अनुच्छेद 243छ) की योजना पर भी लागू होंगी, जिसमें विद्युत वितरण का कार्य करने के लिए स्थानीय संस्थाओं को शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।

9.2 अधिनियम की धारा 5 के आसान दिशा-निर्देश धारा 13 में दिए गए हैं, जो निश्चित स्थितियों के तहत आसान उपचार तथा लाइसेंसिंग से छूटों को विनिर्दिष्ट करते हैं।

9.3 अधिनियम के उद्देश्यों तथा नीति की प्रयोज्यता के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों का तात्पर्य भारत के संविधान के तिहत्तरवें संशोधन के अनुसार यथा परिभाषित/विनिर्दिष्ट सभी ग्रामीण क्षेत्रों से है।

9.4 अधिनियम की धारा 13 के संबंध में, राज्य सरकारें इस नीति की अधिसूचना के 6 महीनों के भीतर मामलों की श्रेणी जैसा उचित समझा जाए, के लिए समुचित आयोग को

संस्तुति करेंगी कि धारा 12 के प्रावधान, धारा 13 के तहत अधिसूचना तिथि से न्यूनतम 5 वर्षों की अवधि के लिए उक्त धारा 13 में बताए गए व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे, जो तदनंतर में लोकहित में राज्य सरकार द्वारा आवधिक पुनरीक्षा के अधीन है।

स्थानीय वितरण का प्रबंध:-

9.5 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय वितरण के प्रबंधन हेतु फ्रैंचाइजी का नियोजन राजस्व प्रवाह सुनिश्चित करने तथा उपभोक्ताओं की सेवाएं सुधारने के लिए आवश्यक समझा गया है। फ्रैंचाइजी व्यवस्था राजस्व माडल नहीं है, बल्कि इसकी परिकल्पना यह सुनिश्चित करने के लिए तंत्र के रूप में की गई है कि वाणिज्यिक हानियाँ घटें, आपूर्तित ऊर्जा की बिलिंग हो तथा राजस्व संग्रह हो।

ग्रामीण वितरण के प्रबंधन हेतु फ्रैंचाइजीज गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), प्रयोगकर्ताओं के संघ, सहकारी या व्यक्तिगत उद्यमी हो सकते हैं। पंचायती राज संस्थाओं की फ्रैंचाइजी द्वारा उन्हें दी गई जिम्मेवारियों के अनुसार सेवा देने की परामर्शदाता हैसियत से निगरानी करने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

राज्य सरकारें पंचायती राज संस्थाओं को फ्रैंचाइजी की जिम्मेवारियां लेने हेतु प्रोत्साहित कर सकती हैं जब कभी भी इस प्रकार की संस्थाएं संविदात्मक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने, बाजार से संसाधन उठाने तथा संबद्ध कानूनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करने हेतु विकसित की गई हों। इस तरह के मामलों में समुचित तंत्र इन संस्थाओं के फ्रैंचाइजी कार्यों की स्वतंत्र निगरानी करने हेतु राज्य सरकार द्वारा शुरू किया जाना चाहिए।

9.6 फ्रैंचाइजी एक विहित समय के लिए चिह्नित समीपस्थ इलाके के भीतर विद्युत आपूर्ति एवं उपभोक्ताओं से सीधे राजस्व एकत्र करने के लिए उत्तरदायी होगा। फ्रैंचाइजी व्यवस्था प्रणाली से परे या उप-केन्द्र से फीडर्स सहित अथवा वितरण ट्रांसफॉर्मर्स सहित प्रणाली के लिए की जा सकती है।

9.7 फ्रैंचाइजी मॉडल के कई रूप हो सकते हैं। किंतु व्यवस्था कम से कम थोक विद्युत (इनपुट आधारित) के अनिवार्य क्रय के लिए एवं नेमी प्रचालन तथा वितरण अवसंरचना के अनुरक्षण के लिए होनी चाहिए। व्यवस्था में ग्रिड विस्तारण तथा पूंजीगत व्यय कार्यक्रमों को करना भी शामिल है तथा ऐसे मामलों में, वर्तमान वितरण लाइसेंसधारी की वितरण प्रणाली फ्रैंचाइजी को हस्तांतरित कर दी जाए। उपभोक्ताओं को टैरिफ का अतिरिक्त बोझ न पड़े इसके लिए आस्तियां नाममात्र के किराए पर चयनित फ्रैंचाइजी को पट्टे पर दी जा सकती हैं। प्रत्येक इन कार्यों के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले लाभों से लघु उद्योगों की

वाणिज्यिक व्यवहार्यता सुनिश्चित की जानी चाहिए, स्थानीय प्रबंधन भी किया जाना चाहिए ।

9.8 फ्रैंचाइजी स्पष्ट रूप से निर्धारित मापदंडों के आधार पर पारदर्शी प्रक्रिया का अनुसरण कर चयनित किए जाएंगे । जहां कहीं संभव हो, फ्रैंचाइजी वितरण लाइसेंसधारी के लिए अत्यधिक अनुकूल थोक आपूर्ति टैरिफ हेतु प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर चयनित किए जाने चाहिए । राज्य सरकार वैकल्पिक आधार जैसे राजस्व बंटवारा को अपना सकती है, यदि वह उचित समझे ।

9.9 फ्रैंचाइजी के साथ संविदात्मक व्यवस्था में पर्याप्त बैंक ग्राह्य गारण्टी, जैसे बैंक गारण्टी का प्रावधान किया जाना चाहिए, जो तीन माह की अवधि में आपूर्तित ऊर्जा मूल्य के समतुल्य हो सकती है, यदि फ्रैंचाइजी संविदात्मक प्रतिबद्धताओं विशेषतः उपभोक्ताओं से बिल वसूलने तथा आपूर्तित ऊर्जा की लागत चुकता करने में असफल रहता है, तो बिना किसी देरी के फ्रैंचाइजी के कामकाज की समीक्षा की जानी चाहिए । संविदा में सहमत हुई वचनबद्धताओं को किसी भी पार्टी द्वारा पूरा न किए जाने के मामले में तथा परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने, यदि लागू हो, के मामले में व्यवस्था समाप्ति के लिए स्पष्ट शर्तों का प्रावधान किया जाना चाहिए ।

संविदात्मक व्यवस्था में फ्रैंचाइजी द्वारा उपभोक्ताओं को दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं के लिए मानदंड निर्धारित करने चाहिए ।

9.10 फ्रैंचाइजी के मार्फत विद्युत वितरण करवाने की अवधारणा सापेक्षिक तौर पर ग्रामीण जनता के लिए नई है । इसलिए यह आवश्यक है कि अवधारणा को उचित रूप से फ्रैंचाइजी के इच्छुक तथा उपभोक्ताओं दोनों को स्पष्ट किया जाना चाहिए ।

9.11 फ्रैंचाइजी व्यवस्था की सफलता सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि वितरण लाइसेंसधारी कम विद्युत आपूर्ति होने के मामले में फ्रैंचाइजियों के प्रति गैर-भेदभावमूलक दृष्टिकोण अपनाए ।

9.12 राज्य सरकारों, फ्रैंचाइजियों, उपभोक्ता संघों तथा पंचायत संस्थाओं के उचित क्षमता निर्माण के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना चाहिए ।

विद्युत का थोक क्रय एवं खुदरा टैरिफ

9.13 धारा 13 के तहत छूट प्राप्त व्यक्ति क्षेत्र के वर्तमान लाइसेंसधारी से या किसी अन्य स्रोत से विद्युत प्रापण कर सकते हैं ।

9.14 जहां ऐसे व्यक्ति क्षेत्र के लाइसेंसधारी से विद्युत क्रय करते हैं, तो उनके द्वारा लाइसेंसधारियों को चुकता किए जाने वाले थोक क्रय मूल्य (बीपीपी) के निर्धारण हेतु समुचित आयोग द्वारा उन्हें अलग श्रेणी के रूप में माना जाए ।

ऐसे मामलों में, व्यक्तियों के क्षेत्र के उपभोक्ताओं को की जाने वाली खुदरा बिक्री के लिए टैरिफ का निर्धारण, उसी प्रकार किया जाएगा जैसा कि उपयुक्त आयोग द्वारा लाइसेंसधारी के लिए निर्धारित किया गया था ।

9.15 यदि प्रतिस्पर्धात्मक रूप से निर्धारित न किया जाए तो बीपीपी प्रतिनिधि उपभोक्ता मिश्रण के आधार पर आधारित नारमेटिव आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए और मामला-दर-मामला आधार पर परिवर्तित नहीं होनी चाहिए । स्थानीय वितरण उद्यम के लिए निर्धारित बीपीपी और विहित लाभ की सीमा ऐसी होनी चाहिए कि उपभोक्ता टैरिफ उसी स्तर पर बनाए रखा जा सके ।

इस बीपीपी को अपनी राजस्व आवश्यकताओं के लिए राज्य विद्युत विनियामक आयोगों को राज्य यूटिलिटीयों के निवेदन पर पूरी तरह से फ़ैक्टर किया जाएगा ।

9.16 जहां उक्त व्यक्ति क्षेत्र के वितरण लाइसेंसी से अन्य स्रोत से विद्युत का क्रय करते हैं तो प्राप्ति मूल्य ऐसे व्यक्तियों और आपूर्तिकर्ताओं के बीच आपस में निर्धारित किया जाएगा । इन मामलों में रिटेल टैरिफ जिला समिति के निरीक्षण से एसईआरसी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा ।

वैश्विक सेवा दायित्व

9.17 जहां पर स्थानीय वितरण (जिसमें ग्रिड विस्तार पूंजीगत व्यय कार्यक्रम का दायित्व शामिल है) का कार्य उपयोगकर्ता एसोसिएशन, सहकारी समितियों, पंचायती संस्थानों अथवा गैर-सरकारी संगठनों को सौंपा गया है, वहां ऐसे व्यक्ति पर, लाइसेंसधारी की जिम्मेदारी, यदि कोई हो तो, वाले अपने प्रचालन एवं आपूर्ति के क्षेत्र में संपूर्ण सेवा देने अर्थात् यदि फ्रैंचाइजी अपने दायित्व को पूरा नहीं कर पाए तो आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए समय पर कार्रवाई करना, का दायित्व होगा ।

9.18 जहां धारा 13 के अंतर्गत छूट वाले व्यक्ति अपनी स्वयं की वितरण प्रणालियां विकसित करते हैं तो क्षेत्र के लाइसेंसी का आपूर्ति दायित्व जारी रहेगा ।

अन्य मामले

9.19 अधिनियम वितरण लाइसेंसी को किसी अधिभार के भुगतान की आवश्यकता के बिना पारेषण प्रणालियों तक गैर-भेदभावपूर्ण की खुली पहुंच प्रदान करता है। जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय वितरण के प्रबंधन के लिए धारा 13 के अंतर्गत छूट प्रदान की गई है, वे भी वितरण लाइसेंसी के कार्यों का निर्वहन करते हैं और इसलिए ब्हीलिंग/पारेषण शुल्कों पर किसी अधिभार के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे यदि वे विद्युत की प्राप्ति हेतु पारेषण एवं वितरण नेटवर्क तक खुली पहुंच का लाभ उठाते हैं।

9.20 अधिनियम की धारा 53 में वर्णित प्रावधान उन व्यक्तियों पर लागू रहेंगे जिन्हें धारा 13 के बाद धारा 12 के प्रावधानों से छूट प्रदान की गई है। समुचित आयोग ऐसी अन्य शर्तें एवं प्रतिबंध लगा सकते हैं जो ग्रामीण उपभोक्ताओं के हित में और तकनीकी मानकों और सुरक्षा उपायों के अनुपालन के लिए आवश्यक हों।

11. समीक्षा

सरकार जब और जहां अपेक्षित हो, अधिनियम की धारा 4 और 5 के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण नीतियों की समीक्षा करेगी।

विद्युत अधिनियम 2003 के संबंधित प्रावधान

धारा 2(63). ' एकल आधार प्रणाली ' से ऐसी विद्युत प्रणाली से अभिप्रेत है जो ग्रिड से संयोजन के बिना किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में विद्युत के उत्पादन और वितरण के लिए स्थापित की गई है;

धारा 4. केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों से परामर्श के पश्चात्, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एकल आधार प्रणालियों को अनुज्ञात करते हुए, (जिनके अन्तर्गत वे भी हैं जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और अन्य गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित हैं) एक राष्ट्रीय नीति तैयार करेगी और उसे अधिसूचित करेगी ।

धारा 5. केन्द्रीय सरकार, ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत संस्थाओं, उपयोगकर्ता संगमों, सहकारी सोसाइटियों, गैर-सरकारी संगठनों या विशेषाधिकार प्राप्तकर्ताओं के द्वारा विद्युत के प्रपुंच क्रय और स्थानीय वितरण के प्रबंध के लिए राज्य सरकारों और राज्य आयोगों के परामर्श से, एक राष्ट्रीय नीति भी बनाएगी ।

धारा 6. समुचित सरकार, सभी क्षेत्रों में, जिनके अन्तर्गत ग्राम ओर उपग्राम भी हैं, विद्युत का प्रदाय करने के लिए प्रयास करेगी ।

धारा 13. समुचित आयोग, समुचित सरकार की सिफारिश पर, धारा 5 के अधीन विरचित राष्ट्रीय नीति के अनुसार और लोकहित में, अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगा कि ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए और ऐसी अवधि या अवधियों के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, धारा 12 के उपबंध किसी स्थानीय प्राधिकारी पंचायत संस्था, उपयोगकर्ता संगम, सहकारी सोसाइटी, गैर-सरकारी संगठन या विशेषाधिकार प्राप्त को लागू नहीं होंगे ।

धारा 14. समुचित आयोग, धारा 15 के अधीन उसके किए गए आवेदन पर किसी व्यक्ति को, किसी ऐसे क्षेत्र में, जो अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट किया जाए--

(क) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के रूप में विद्युत पारेषित करने के लिए; या

- (ख) वितरण अनुज्ञप्तिधारी के रूप में विद्युत वितरित करने के लिए; या
- (ग) विद्युत व्यापारी के रूप में विद्युत का व्यापार करने के लिए, अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा:

.....परन्तु यह भी कि जहां कोई व्यक्ति, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले किसी ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत का उत्पादन और वितरण करने का आशय रखता है वहां ऐसे व्यक्ति से विद्युत के ऐसे उत्पादन और वितरण के लिए किसी अनुज्ञप्ति की अपेक्षा नहीं की जाएगी किन्तु वह ऐसे सभी उपाय करेगा जो धारा 53 के अधीन प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए.....

(अजय शंकर)
अपर सचिव, भारत सरकार